भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2230

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

बंधुआ मजदूरों पर आंकड़े

2230. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बंधुआ मजदूर मामलों की संख्या से संबंधित राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो कि मानव तस्करी के भी मामले थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरों के मामलों के बीच कोई संबंध पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंधुआ मजदूर के मामलों में मानव तस्करी के समाधन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरों को रोकने के लिए स्रोत/गंतव्य से केन्द्रीकृत आंकडे एकत्रित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): वर्ष 2016 और 2017 के दौरान राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के पास मानव तस्करी सहित बंधुआ श्रमिकों के मामलों की कुल संख्या क्रमश: 86 और 23 की रिपोर्ट की गई है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य का विषय है और इस प्रकार बंधुआ श्रमिकों के मामले में मानव तस्करी के अपराध का दायित्व राज्य सरकारों पर है। तथापि, गृह मंत्रालय सभी राज्यों में मानव तस्करी रोधी इकाईयों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रयासों, उपायों और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों को मदद करता रहा है। गृह मंत्रालय राज्यों को और राज्यों में न्यायिक अकादमियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ताकि पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को मानव तस्करी से संबंधित कानूनों के विभिन्न उपबंधों के बारे में संवेदनशील बनाया जाय जिससे तस्करी को रोकने में वे अपनी भूमिका निभा सकें। गृह मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर कई परामर्शी भी जारी की है और मानव तस्करी रोधी इकाईयों के नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक रूप से बैठकें भी की हैं ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके।

(घ): राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) ऐसे आंकड़ों का अनुरक्षण करता है। सूचना अनुबंध पर संलग्न है।

*

*****

अनुबंध

श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा बंधुआ मजदूरों पर आंकड़ों के संबंध में दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	0
4	बिहार	1	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	0	0
8	हरियाणा	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	1
11	झारखंड	29	0
12	कर्नाटक	11	12
13	केरल	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	1
15	महाराष्ट्र	0	1
16	मणिपुर	0	0
17	मेघालय	0	0
18	मिजोरम	0	0
19	नागालैंड	0	0
20	ओडिशा	5	0
21	पंजाब	6	0
22	राजस्थान	6	2
23	सिक्किम	0	0
24	तमिलनाडु	11	0
25	तेलंगाना	0	0
26	त्रिपुरा	0	0
27	उत्तर प्रदेश	2	6
28	उत्तराखंड	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल (राज्य)	**71**	**23**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
31	चंडीगढ़	0	0
32	दादरा और नागर हवेली	0	0
33	दमन और दीव	0	0
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुडुचेरी	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**15**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**86**	**23**